

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर**

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से नि-1/2019/

दिनांक

--:आदेश:-

निम्नलिखित नर्सिंगकर्मि जिनके द्वारा राज्य सेवा मे 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से मध्यान्ह पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है-

क्र. स.	कर्मचारी का नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती) व पद	पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	निर्मला देवी डामोर, नर्स प्रथम	नर्स प्रथम	बांसवाडा	07 12 1959	31 12 2019
2.	रमा एल, नर्स प्रथम	नर्स प्रथम	बारावाडा	02 05 1960	31 05 2020
3.	सुरेश चन्द गुप्ता, नर्स प्रथम	नर्स प्रथम	सवाई माधोपुर	17 01 1960	31 01 2020
4.	रीटा बेनी, नर्स प्रथम	नर्स प्रथम	जयपुर	01 05 1960	30 04 2020
5.	रतन लाल मेहरा, नर्सिंग अधीक्षक	नर्सिंग अधीक्षक	जयपुर	28 07 1960	31 07 2020
6.	ओमप्रकाश चौबीसा, नर्स प्रथम	नर्स प्रथम	उदयपुर	14 06 1960	30 06 2020
7.	रामफल, नर्सिंग अधीक्षक	नर्सिंग अधीक्षक	भरतपुर	15 06 1960	30 06 2020
8.	सुरेशचन्द्र शर्मा नर्स प्रथम	नर्स प्रथम	बारा	03 02 1960	29 02 2020
9.	मदनलाल मीणा नर्स प्रथम	नर्स प्रथम	बारा	10 07 1960	31 07 2020

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नर्सिंग कर्मिको के विरुद्ध आज दिनांक तक--

1. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम -16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

sd/-  
(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

दिनांक 5-12-19

क्रमांक.- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि-1/2019/ 622-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज।
3. संबंधित सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन।
4. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय सघ/समूह।
5. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
6. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
7. संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी।
8. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
9. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
10. आदेश/निजी पत्रावली।

m

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर